रा.पु.मु.ज. / 5—99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022..
   प्र. इ. रि. सं. ....139/2022 दिनांक 25/4/2022
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 अधिनियम संशोधित 2018..धारायें...7,7ए पीसी एक्ट ....
   (ब) अधिनियम ....धारायें..
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....120बी भादंसं...........................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....452.......समय..............3:30 Pm
   (ब) अपराध घटने का दिन—दिनांक शुक्रवार / 22.04.2022 / समय. 01.08 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 20.04.2022 / 02.10 पीएम.................................
4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक — लिखित
5. घटनास्थल :—
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी — दिशा पूर्व दूरी लगभग 03 कि0मी0 ....
   (ब) पता—दुकान प्रियंका कार बाजार मुगस्का अलवर ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं..................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो—पुलिस थाना........... जिला..............................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
   (अ) नाम श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा
   (ब) पिता का नाम श्री सूरजभान अरोडा... ....
   (स) जन्म तिथि / वर्ष 80...
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.........................
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...... पुरानी कार खरीदने व बेचने का कार्य ....
   (ल) पता..मकान नं0—47 पंचवटी स्कीम 7 अलवर हाल दुकान प्रियंका कार बाजार मुगस्का अलवर
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :—

1—श्री अमीचन्द पुत्र श्री चेतराम जाति जाटव उम्र 43 वर्ष निवासी— ग्राम रोणपुर पोस्ट बुटियाना तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण शाखा), नगर विकास न्यास, अलवर।

2—श्री अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री सोहन लाल वर्मा जाति बैरवा उम्र 36 निवासी—हिरनोटी तहसील व थाना रैणी जिला अलवर हाल प्रोपर्टी डीलर "दुकान बाबा प्रोपर्टीज" हनुमान तिराया, अलवर (दलाल प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :—कोई नही.....................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....1,00000 / —रूपये रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)................
    ....1,00000 / —रूपये रिश्वत राशि ....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर II अलवर। विषय—रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाये जाने के कम में। महोदय, प्रार्थना है कि —मैने एक प्लॉट 66'X 70 का खसरा नम्बर 374 / 1 अलवर नम्बर 01 अलवर बुद्ध बिहार में खातेदार श्री फूल चन्द का खरीद कर रजिस्ट्री व इन्तकाल व कब्जा इत्यादि वर्ष 1983 में लिया था, जिसके नियमन पट्टे के लिये मैने वर्ष 2009 में UIT अलवर को आवेदन किया था, किन्तु इस खसरे पर ADJ प्रथम अलवर के यहां कोर्ट केस पैण्डिंग होने के कारण UIT में पट्टा जारी होना रूका हुआ है, तथा UIT अलवर के JEN श्री अमीचन्द वर्मा मुझे उक्त प्लॉट पिछला कन्सट्रेक्शन जो कि समयावधि व बरसात में गिर गया था उसे वापिस ठीक कराने व इस प्लॉट पर बैठने नहीं दे रहा है। जबकि कोर्ट में जबाब दावे में लिखकर दे रहे है कि यह प्लॉट श्री चन्द्र प्रकाश का है तथा उनकी फाईलों में नोटशीट में मेरा कब्जा लिखा हुआ है। दिनांक 19.04.2022 को श्री अशोक बैरवा जो कि हनुमान सर्किल पर बाबा प्रोपर्टी डीलर है व UIT के अधिकारी जे.ई.एन. अमीचन्द का दलाल है ने मुझसे सम्पर्क किया और मुझे समझाया कि आप परेशान मत हो मै तुम्हारा सारा काम यानि कन्सट्रेक्शन व कब्जे दिलवा दूंगा । मेरी UIT के जे.ई.एन. श्री अमीचन्द से सैटिंग है व मेरे समाज के है। उन्होने मेरे सामने उनसे फोन पर बात की व मुझे UIT आने के लिये कहा , मै स्वयं यू.आई.टी. की सीढीयां चढकर नहीं जा सकता था इसलिये

मैने अपने पोते को भेज दिया। UIT में श्री अमीचन्द ने मेरी फाईल लेकर पढी। इसके बाद दिनांक 19.04.2022 को दलाल श्री अशोक बैरवा ने UIT के JEN श्री अमीचन्द से मिलकर प्लाट पर कन्स्ट्रेक्शन व दुकान इत्यादि बनाने व कब्जा करवाकर व तोडने नही देने की गारंटी हेतु मुझसे 05 लाख रूपये की रिश्वत देने के लिये कहा, मै रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, जे.ई.एन. श्री अमीचन्द व अशोक कुमार दलाल को रिश्वत लेने के जुर्म में पकडवाना चाहता हूं , आज से पूर्व मै इन दोनो को नहीं जानता था नाही इनसे मेरी कोई शत्रुता है, और नाही कोई रूपये पैसे का लेन देन बाकी है। कृपया उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर दिनांक 20.04.2022–प्रार्थी चन्द्रप्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान जाति अरोडा उम्र 80 वर्ष निवासी 47 पंचवटी स्कीम 7 अलवर मो0नम्बर–7597220832, हस्ता0 स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार व कैलाशचन्द सैनी दिनांक 22.04.2022,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 20.04.2022 को समय 02.10 पी.एम. पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान जाति अरोडा उम्र 80 वर्ष निवासी 47 पंचवटी स्कीम 7 अलवर हाल दुकान प्रियंका कार बाजार मुगस्का अलवर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पेश की। जिस पर मैने परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा से पूछताछ की तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होना व उक्त लिखित रिपोर्ट अपने स्वयं की हस्तलिखित/हस्ताक्षरित होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि– मैने एक प्लॉट 66'X 70 का खसरा नम्बर 374/1 अलवर नम्बर 01 अलवर बुद्ध बिहार में खातेदार श्री फूल चन्द का खरीद कर रजिस्ट्री व इन्तकाल व कब्जा इत्यादि वर्ष 1983 में लिया था, जिसके नियमन पट्टे के लिये मैने वर्ष 2009 में UIT अलवर को आवेदन किया था, किन्तु इस खसरे पर ADJ प्रथम अलवर के यहां कोर्ट केस पैण्डिंग होने के कारण UIT में पट्टा जारी होना रूका हुआ है, तथा UIT अलवर के JEN श्री अमीचन्द वर्मा मुझे उक्त प्लॉट पिछला कन्सट्रेक्शन जो कि समयावधि व बरसात में गिर गया था उसे वापिस ठीक कराने व इस प्लॉट पर बैठने नहीं दे रहा है। जबकि कोर्ट में जबाब दावे में लिखकर दे रहे है कि यह प्लॉट श्री चन्द्र प्रकाश का है तथा उनकी फाईलों में नोटशीट में मेरा कब्जा लिखा हुआ है। दिनांक 19.04.2022 को श्री अशोक बैरवा जो कि हनुमान सर्किल पर बाबा प्रोपर्टी डीलर है व UIT के अधिकारी जे.ई.एन. अमीचन्द का दलाल है ने मुझसे सम्पर्क किया और मुझे समझाया कि आप परेशान मत हो मै तुम्हारा सारा काम यानि कन्सट्रेक्शन व कब्जे दिलवा दूंगा । मेरी UIT के जेईएन श्री अमीचन्द से सैटिंग है व मेरे समाज के है। उन्होने मेरे सामने उनसे फोन पर बात की व मुझे UIT आने के लिये कहा , मै स्वयं यू.आई.टी. की सीढीयां चढकर नहीं जा सकता था इसलिये मैने अपने पोते को भेज दिया। UIT में श्री अमीचन्द ने मेरी फाईल लेकर पढी। इसके बाद दिनांक 19.04.2022 को दलाल श्री अशोक बैरवा ने UIT के JEN श्री अमीचन्द से मिलकर प्लाट पर कन्स्ट्रेक्शन व दुकान इत्यादि बनाने व कब्जा करवाकर व तोडने नही देने की गारंटी हेतु मुझसे 05 लाख रूपये की रिश्वत देने के लिये कहा, मै रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, जे.ई.एन. श्री अमीचन्द व अशोक कुमार दलाल को रिश्वत लेने के जुर्म में पकडवाना चाहता हूं । आज से पूर्व मै इन दोनो को नहीं जानता था नाही इनसे मेरी कोई शत्रुता है, और नाही कोई रूपये पैसे का लेन देन बाकी है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर अपने ऐड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्ड एवं प्लॉट से सम्बन्धित कागजातों की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जिन्हें शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि यू. आई.टी. अलवर के जे.ई.एन. अमीचन्द सीधे बात नहीं कर दलाल अशोक बैरवा प्रापर्टी डीलर के माध्यम से ही रिश्वत के संबंध में बात करते है, एवं दलाल के जरिये ही रिश्वत लेते है, तथा दलाल अशोक बैरवा प्रोपर्टी डीलर ने मुझसे यह भी कहा है कि वह यूआईटी अलवर के जेईएन अमीचन्द से मेरा आमना सामना कराकर उनसे लेन–देन संबंधी बातें करा देगा, तथा दलाल अशोक बैरवा आज शाम को रिश्वत की रकम के संबंध में बात करने के लिये मेरी दुकान या घर पर आयेगा। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर दिनांक 20.04.2022 को परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को आरोपीगण दलाल अशोक बैरवा प्रोपर्टी डीलर से एवं उसके हमराह यूआईटी अलवर के जे.ई.एन. अमीचन्द के पास जाकर उनसे रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा व श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर श्री राजवीर सिंह कानि0 को वादी की मुगस्का अलवर स्थित दुकान अथवा पंचवटी स्कीम स्थित मकान नम्बर 47 पर पहुंचकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण दलाल अशोक प्रोपर्टी डीलर एवं यूआईटी जेईएन अमीचन्द द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन

विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय करीब 3.10 पीएम पर रवाना किया गया, जो उसी रोज समय 06.40 पीएमः पर उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी ने बताया कि मै व राजवीर सिह दोनो आपके कार्यालय से कार से रवाना होकर मेरे अलवर में पंचवटी स्कीम नम्बर 7 स्थित मकान नम्बर 47 पर पहुचे व मकान के अन्दर बैठकर आरोपी दलाल अशोक बैरवा के आने का इन्तजार करने लगे, कुछ समय के बाद मैने अपने मोबाईल फोन नम्बर–7597220832 से आरोपी दलाल अशोक बैरवा प्रोपर्टी डीलर से उसके मोबाईल फोन नम्बर–9314165907 को मिलाया तो उसने फोन नहीं उठाया, कुछ समय के बाद पुनः उसके मोबाईल फोन पर कॉल कर मेरे द्वारा अशोक बैरवा से बात की तो उसने कहा कि मेरी यूआईटी अधिकारी से बात हो गई है मै एक घंटे में आता हूं, उक्त वार्ता को राजवीर सिंह ने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया, उसके बाद आरोपी दलाल अशोक के आने का इन्तजार करने लगे करीब एक डेढ घंटे के बाद आरोपी दलाल अशोक मेरे मकान के बाहर गेट पर आया जिस पर दलाल अशोक के मेरे मकान के अन्दर आने से पहले ही राजवीर सिंह ने टेप रिकार्डर चालू कर मुझे दे दिया जो मैने अपने पास रख लिया और राजवीर सिंह को अपने मकान के अन्दर दूसरे कमरे में बैठाकर मैने आरोपी दलाल को बाहर से अन्दर अपने कमरे में बुलाया जो मेरे मकान के अन्दर आकर मेरे पास मेरे कमरे में आकर बैठ गया जिससे मैने अपने प्लॉट के कार्य के बारे में बातचीत की तो उसने मुझसे 5 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की एवं मुझे कल दिनांक 21.04.2022 को यूआईटी अलवर के जेईएन अमीचन्द से आमना सामना कराकर रिश्वत की रकम के संबंध में वार्ता करा दूंगा, की कहकर वह मेरे घर से चला गया, मेरे और अशोक कुमार के बीच में जो वार्ता हुई उसको मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया, और आरोपी दलाल अशोक बैरवा के जाने के बाद राजवीर सिंह कानि0 को मैने टेप रिकार्डर चालू हालत में दे दिया जिसे राजवीर सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया, उसके बाद मैने सारी बातें राजवीर सिंह को बता दी, उसके बाद राजवीर सिंह और मै वापस आये है। परिवादी के उक्त कथनों की ताईद राजवीर सिंह कानि0 ने पूछने पर की। इसके बाद श्री राजवीर सिंह से विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ऐयरफोन की मदद से सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में आरोपी दलाल अशोक की तरफ से रिश्वत राशि की मांग किये जाने एवं दिनांक 21.04.2022 को आरोपी दलाल अशोक द्वारा परिवादी का यूआईटी अलवर के जेईएन से आमना सामना कराकर रिश्वत राशि के कम में वार्ता कराने हेतु कहा जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेवल स्पीकर के सहयोग से सुन व परिवादी व गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चार खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता चार सीडीयों पर मार्क ए–1 ए–2 ए–3, ए–4 अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा चारों सीडीयों में से तीन सीडी मार्क ए–1, ए–2, एवं ए–3 को कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क ए–4 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया। रिकार्ड वार्तालाप के कम में दिनांक 21.04.2022 को परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को आरोपी दलाल अशोक के पास भेजकर तथा उसके हमराह आरोपी जेईएन अमीचन्द.के पास भेजकर उससे आरोपी दलाल अशोक द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के बारे में सहमति बाबत गोपनीय सत्यापन करवाया जाना उचित समझते हुये परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को अगले रोज दिनांक 21.04.2022 को प्रातः 10.00 एएम पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर कार्यालय से रूकसत किया गया।। इसके बाद दिनांक 21.04.2022 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा के कार्यालय में उपस्थित आने पर परिवादी को आरोपीगण दलाल अशोक बैरवा प्रोपर्टी डीलर से एवं उसके हमराह यूआईटी अलवर के जे.ई.एन. अमीचन्द के पास जाकर उनसे रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय एसडी कार्ड के परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा व श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर श्री राजवीर सिंह कानि0 को अरोपीगण दलाल व यूआईटी अलवर के जेईएन अमीचन्द के पास जाकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण दलाल अशोक प्रोपर्टी डीलर एवं यूआईटी जेईएन अमीचन्द द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय करीब 11.00 एएम पर रवाना किया गया जो उसी रोज समय 2.00 पीएम पर वापस कार्यालय आये एवं परिवादी ने मुझे बताया कि मै व आपका कर्मचारी श्री राजवीर सिंह दोनो आपके कार्यालय से रवाना होकर मेरी प्रिंयका कार बजार के नाम से मुगस्का अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे जहां से मैने अपने मोबाईल फोन से आरोपी दलाल अशोक बैरवा को

फोन किया तो उसने मुझे अपनी बाबा प्रोपर्टीज के नाम से हनुमान तिराया अलवर स्थित दुकान पर बुलाया जिस पर मै व राजवीर सिंह दोनो आरोपी अशोक कुमार बैरवा की हनुमान तिराया अलवर स्थित बाबा प्रोपर्टीज नामक दुकान के पास पहुंचे जहा पर दुकान के बाहर ही राजवीर सिंह ने अपने पास से विभागीय वॉईस रिकार्डर मुझे अपनी आवाज से टैस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मुझसे टेप प्राप्त करने की वार्ता रिकार्ड कर चालू हालत में टेप रिकार्डर दे दिया जो मैने अपने पास पैंट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिया उसके बाद मै अशोक कुमार बैरवा के पास उसकी बाबा प्रोपर्टीज नामक दुकान के अन्दर चला गया तथा राजवीर दुकान से बाहर ही खडा रहा तथा दुकान के अन्दर अशोक कुमार बैरवा मुझे मिल गया जिससे मैने अपने प्लॉट पर निर्माण कराने के संबध में बातचीत की, इसी दौरान श्री अमीचन्द जेईएन साहब भी आ गये जिनसे अशोक कुमार बैरवा ने मुझे मिलाया, इन दोनो ने मिलकर मुझसे पहले तो 5 लाख रूपये रिश्वत की मांग की और मेरे राशि कम करने के निवेदन उपरान्त उन्होने 4 लाख रूपये लेना तय कर एक लाख रूपये पहले व शेष राशि निर्माण कार्य शुरू करने से 2 घंटे पूर्व लेने की मांग की, मैने उनकी सारी वार्ता को टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और दुकान से बाहर आकर श्री राजवीर सिंह से मिलकर एकान्त स्थान पर जाकर टेप रिकार्डर चालू हालत में श्री राजवीर सिंह को दे दिया जिसको राजवीर सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद मैने सारी बातें राजवीर सिंह को बता दी फिर राजवीर सिंह मुझे अपने साथ लेकर आपके पास लेकर आया है, श्री राजवीर सिंह कानि0 ने पूछने पर परिवादी के कथनों की ताईद की। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 से विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ऐयरफोन की मदद से सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में आरोपीगणों द्वारा परिवादी से 5 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के निवेदन उपरान्त 4 लाख रूपये लेना तय कर एक लाख रूपये पहले व शेष राशि निर्माण कार्य शुरू करने से 2 घंटे पूर्व लेने की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेवल स्पीकर के सहयोग से सुन व परिवादी व गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चार खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता चार सीडीयों पर मार्क बी–1 बी–2 बी–3, बी–4 अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा चारों सीडीयों में से तीन सीडी मार्क बी–1, बी–2, एवं बी–3 को प्लास्टिक कवरों में अलग अलग रखवाकर अलग अलग सफेद कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मोहर कर थैलियों के उपर मार्क अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क बी–4 को अनशील्ड रखा गया। इसके बाद परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा को आरोपीगण द्वारा मांगी गई 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर दिनांक 22.04.2022 को समय करीब 10.00 एएम पर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय पर आने हेतु पाबन्द कर कार्यालय से रूकसत किया गया, तथा अधिक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 अलवर के नाम दो अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 22.04.2022 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में भिजवाये जाने हेतु तहरीर प्रस्तुत कर दो गवाह पाबन्द करवाये गये, एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर प्रथम अलवर को श्री सियाराम कानि0 नम्बर 430 को इमदाद हेतु दिनांक 22.04.2022 को प्रातः 9.00 एएम पर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय पर भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। इसके बाद दिनांक 22.04.2022 को समय 09.30 एएम पाबन्द शुदा श्री सियाराम कानि0 नम्बर 430 एवं समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा उपस्थित कार्यालय आये परिवादी ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मै आरोपीगण द्वारा मांगी गई 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आया हूं, परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया,, इसके बाद कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 ए तृतीय अलवर से पाबन्द शुदा गवाह मनोज कुमार सीए सैकण्ड व कैलाशचन्द सैनी मीटर इंस्पैक्टर उपस्थित कार्यालय आये जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 को दिखाया व पढवाया गया तथा रिपोर्ट पर दोनो गवाहो के हस्ताक्षर अंकित करवाये गये । इसके बाद वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की समस्त फर्द ट्रांसक्रिप्टें दोनो गवाहान को पढवाई गई एवं समस्त आईओ सीडी को लेपटोप की मदद से चालू कर एयरफोन की मदद से मुख्य अंश सुनाये गये एवं फर्द ट्रांसक्रिप्टो में वर्णित वार्तालाप से मिलान करवाया गया जो गवाहान द्वारा मिलान हूंबहू होना स्वीकार करते हुये रिश्वत की मांग का स्पष्ट होना बताया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री चंद्रप्रकाश अरोडा ने मांगने पर आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00000/– रूपये(एक लाख रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका नम्बरो का विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित कराया जाकर पेश शुदा नोटो

को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया, जो हूबहू हुआ, तत्पश्चात श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर एक साफ अखवार के उपर निकलवाकर 1,00000/– रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया जाकर परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा की जामा तलासी गवाह श्री मनोज कुमार से लिवाई गई जिसमें उसके पास बदन पर पहने हुये कपडों, मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 1,00000/–रूपये के नोट परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा के बदन पर पहनी हुई पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर उन्हें देवे तथा आरोपीगण द्वारा उक्त पाउडर युक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपीगण के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर कानि. से एक कांच के साफ गिलास में कार्यालय के अन्दर लगे वाटर कूलर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री कैलाशचन्द सैनी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला यथावत रहा, जिसे सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिकिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और बताया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाउडरयुक्त राशि को ग्रहण करेंगे तो इस प्रकार उनके हाथों को धुलवाया जाने पर धोवन का रंग हल्का या गहरा गुलाबी हो जायेगा जिससे यह माना जावेगा कि आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण की गई है। इसके बाद फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय में रखी आलमारी के अन्दर तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, कांच के गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन व पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री राजवीर कानि. के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा को रिश्वत लेन–देन के समय आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 12.30 पीएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर बाद जामा तलाशी श्री राकेश कुमार कानि0 नम्बर–299, श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर 206, श्री लल्लूराम कानि0 नम्बर–487, श्री निहाल सिंह कानि0 नम्बर–595 को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सूचना दिये जाने के बाद आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण शाखा यूआईटी अलवर को डिटेन कर सूचना दिये जाने की हिदायत देकर एक सरकारी व एक प्राईवेट मोटरसाईकिल से यूआईटी कार्यालय की तरफ रवाना किया गया एवं आरोपी अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता की पहचान बाबत उसकी फोटो व्हाटस–अप कर दी गई, तत्पश्चात परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा को उसके द्वारा लाई हुई स्वयं की कार से राजवीर सिंह

कानि0 नं.443 के हमराह आगे आगे उसकी स्वयं की प्रियंका कार बाजार नाम से स्थित दुकान मुगस्का अलवर के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार को उसकी स्वयं की निजी मोटरसाईकिल से मय कानि0 श्री सियाराम नम्बर 430 के रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक महेन्द्र कुमार मय स्वतत्र गवाह श्री कैलाशचन्द सैनी एवं स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार हैड कानि0 नम्बर 36 को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन स्वयं ड्राईविंग करता हुआ लेकर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय से मुगस्का अलवर के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में महेश कुमार चालक, एवं धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। समय 12.40 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा परिवादी की मुगस्का अलवर स्थित दुकान प्रियंका कार बाजार के पास पहुंचा जहां पर परिवादी की उक्त दुकान से कुछ दूरी पर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा व कानि0 राजवीर सिंह कार सहित रोड की साईड में एवं गवाह श्री मनोज कुमार व सियाराम कानि0 मोटरसाईकिल सहित परिवादी से कुछ दूरी पर सडक के साईड में एक पानी के मटके बेचने वाले की दुकान के पास खडे मिले मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्राईवेट वाहन को उन्हीं के पास सडक के दाहिनी तरफ खडा कर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को अपनी स्वयं की दुकान प्रियंका कार बाजार पर जाकर बैठकर आरोपी के आने के इन्तजार हेतु रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे श्री राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी की दुकान प्रियका कार बाजार के बाहर सेल हेतु खडी हुई कारों के पास खडे होकर कारो का खरीददार बनकर वहां पर खडा रहकर परिवादी पर नजर रखने एवं आरोपी के परिवादी के पास आने पर उनमें होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा हो सके तो लेन–देन की विडियों ग्राफी स्वयं के मोबाईल में रिकार्ड करने एवं लेन–देन उपरान्त परिवादी से प्राप्त ईशारे की सूचना दिये जाने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह कैलाशचन्द सैनी व स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार हैड कानि0 के जरिये प्राईवेट वाहन रवाना होकर हनुमान तिराये से वाहन को घुमाकर वापस परिवादी की दुकान प्रियंका कार बाजार से कुछ दूरी पर एक पेड की छांव में वाहन को खडा कर स्टाफ सदस्यों से सम्पर्क रखते हुये परिवादी के अगले ईशारे के इन्तजार में मय गवाह व स्टाफ सदस्यों के मुकीम हुआ। कुछ समय के बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 ने मुझे अवगत कराया कि परिवादी ने आरोपी दलाल अशोक से मोबाईल फोन पर वार्ता की है तो आरोपी अशोक दलाल ने कुछ समय के बाद पहुंचने हेतु कहा है, तथा परिवादी ने यह भी बताया है कि आरोपी दलाल अशोक अपनी सिफ्ट डिजायर कार रंग सफेद जिसका नम्बर आरजे–02 सीसी 7902 से आने वाला है। इस पर राजवीर सिंह को आवश्यक हिदायत दी गई। कुछ समय के बाद परिवादी द्वारा बताये हुलिये अनुसार एक सिफ्ट डिजायर कार नम्बर आरजे–02 सीसी 7902 अलवर शहर की तरफ से आई और परिवादी की दुकान प्रियंका कार बाजार के पास बिकी हेतु खडी हुई कारों के पास आकर रूकी जिसमें से एक व्यक्ति जिसने काली शर्ट पेंट पहनी हुई है उक्त कार की ड्राईविंग सीट से नीचे उतरा और गाडी का गेट बन्द कर सीधा परिवादी की दुकान प्रियंका कार बाजार के अन्दर चला गया। इसके बाद समय समय 01.02 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री चंद्रप्रकाश अरोडा द्वारा दुकान प्रियंका कार बाजार मुगस्का अलवर के अन्दर से अपने सिर पर हाथ फेरकर किये गये निर्धारित ईशारे की सूचना उक्त दुकान के बाहर बेचने हेतु खडी कारों के पास खडे हुये श्री राजवीर सिंह कानि0 के जरिये प्राप्त होने पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी की दुकान प्रियंका कार बाजार के पास पहुंचा जहां पर दुकान में लगे कांच के शीशों में से दुकान के अन्दर परिवादी के पास एक व्यक्ति काली शर्ट पैन्ट पहने कुर्सी पर बैठकर पांच–पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डीयों को गिनता दिखाई दिया जो मन पुलिस उप अधीक्षक व हमराहीयान को कांच की शीशे से स्पष्ट नजर आ रहा था, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी कुछ पल उक्त दुकान के बाहर रूका तथा उक्त व्यक्ति द्वारा नोटो को गिनकर कुर्सी से खडे होकर उक्त नोटो की गड्डीयों को अपनी पहनी हुई जींस पेन्ट की दाहिनी जेब के अन्दर रख लिया और अपने मोबाईल फोन से बातें करने लगा और बातें करने के बाद वापस कुर्सी पर बैठ गया, जिस पर परिवादी के ईशारे उपरान्त समय 01.08 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान एवं पार्टी को लेकर दुकान के अन्दर पहुंचा तथा परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात् परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा ने पास ही कुर्सी के पास खडे काली शर्ट व जीन्स पैन्ट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही श्री अशोक कुमार बैरवा दलाल है, जिसने अभी अभी मेरी दुकान पर आकर दुकान के अन्दर ही मुझसे 100000/–रूपये(एक लाख रूपये) रिश्वत के प्राप्त कर अपने दांहिने हाथ मे लेकर दोनो हाथों से अच्छी तरह गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की आगे की दाहिनी जेब के अन्दर रख लिये है। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री सोहनलाल वर्मा जाति बैरवा उम्र 36 वर्ष निवासी गांव हिरनोटी तहसील व थाना रैणी जिला अलवर हाल प्रोपर्टी डीलर दुकान बाबा प्रोपर्टीज हनुमान तिराया अलवर होना बताया। इसी बीच श्री

राजवीर सिंह कानि0 ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि उसके द्वारा आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा द्वारा रिश्वती नोटो को गिनते हुये का विडियों स्वयं के मोबाईल द्वारा बनाया गया है जो मेरे मोबाईल की मेमोरी में सेव है, जिस पर राजवीर सिंह कानि0 से उसका मोबाईल फोन प्राप्त कर उसकी विडियों रिकॉडिंग मैमोरी को चैक किया गया तो उक्त विडियों रिकॉडिंग में अशोक कुमार बैरवा द्वारा रिश्वती नोटो को गिनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच मौके पर दुकानदारो व राहगीरों की काफी भीड जमा हो गई जो कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने के मध्यनजर आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा को जाप्ता की निगरानी/सुरक्षा में मय गवाहान प्राईवेट वाहन में बिठाकर तथा आरोपी दलाल की सिफ्ट डिजायर कार नम्बर–आरजे–02 सीसी 7902 को हमराह साथ लेकर घटना स्थल से मय जाप्ता रवाना हुआ तथा श्री रामजीत सिंह कानि., राकेश कुमार कानि., श्री लल्लूराम कानि0 व निहाल सिंह कानि0 को आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता को डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक व आरोपी दलाल मय गवाहान व ट्रैप टीम के समय करीब 01.55 पीएम0 पर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय पर उपस्थित आया व आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा को कार्यालय में कुर्सी पर बैठाया जाकर जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में छोडकर मन पुलिस उप अधीक्षक जरिये प्राईवेट वाहन कार्यालय से रवाना होकर नगर विकास न्यास कार्यालय अलवर पहुंचा जहां पर पूर्व से रवाना शुदा जाप्ता द्वारा मन पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार डिटेन किये हुये मुख्य आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता नगर विकास न्यास अलवर को जाप्ता की निगरानी में हमराह साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन समय करीब 2.30 पीएम पर वापस कार्यालय आया तथा आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता को कार्यालय में कुर्सी पर बैठाया जाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमीचन्द पुत्र श्री चेतराम उम्र 43 वर्ष जाति जाटव निवासी गांव रोणपुर पोस्ट बुटियाना तहसील गोबिन्दगझ जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण शाखा) नगर विकास न्यास अलवर होना बताया। इसके बाद दलाल अशोक कुमार बैरवा से परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से आज दिनांक 22.04.2022 को प्राप्त की गई 1,00000 / रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैने श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता के कहे एवं मांगे अनुसार आज दिनांक 22.04.2022 को 1,00000/–रूपये चन्द्रप्रकाश अरोडा से मांगकर श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता के लिए, लिए है, यह राशि मै इन अमीचन्द जेईएन साहब को इनके पास जाकर देता कि आपने आकर पकड लिया 1,00000/–रूपये अभी भी मेरी पहनी हुई जींस पैट की दाहिनी जेब में रखे हुए है, यह राशि इन अमीचन्द जेईएन साहब को ही देनी थी। इस राशि से मेरा कोई लेना देना नही है मैने तो यह राशि इन अमीचन्द जेईएन साहब के कहे एवं मांगे अनुसार ही चन्द्रकाश अरोडा से ली है। इसके बाद श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुझे इस अशोक कुमार बैरवा ने विस्वास में लेकर मरवा दिया और उक्त शब्द कहते कहते बीच में रूक गया तथा पुनः पूछने पर सोच विचार कर बताया कि उसने परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से स्वयं एवं अपने किसी अधिकारी के लिए किसी प्रकार की रिश्वत राशि की मॉग नही की गई है और नाही मेरे द्वारा इस अशोक कुमार बैरवा के माध्यम से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही की गई है। इस परिवादी चन्द्रप्रकाश बैरवा का कोई कार्य मेरे पास लम्बित नहीं है, इन्होने मुझे इस मामले में गलत फसाया गया है, मै निर्दोष हूं। इसके बाद दोनो आरोपितों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के संबंध में परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि–मैने एक प्लॉट 66X70 का खसरा नम्बर 374/1 अलवर नम्बर 01 बुद्ध बिहार में खातेदार श्री फूल चन्द से खरीद कर रजिस्ट्री व इन्तकाल व कब्जा इत्यादि वर्ष 1983 में लिया था, जिसके नियमन पट्टे के लिये मैने वर्ष 2009 में यूआईटी अलवर में आवेदन किया था, किन्तु इस खसरे पर एडीजे कोर्ट प्रथम अलवर के यहां कोर्ट केस पैण्डिंग होने के कारण यूआईटी में पट्टा जारी होना रूका हुआ था एवं है, तथा यूआईटी अलवर की निर्माण शाखा के इन अमीचन्द जेईएन द्वारा मुझे उक्त प्लॉट पर पिछला कन्सट्रेक्शन जो कि समयावधि तथा बरसात में गिर गया था उसे वापिस ठीक कराने व प्लॉट पर बैठने नहीं दिया जा रहा था । जबकि कोर्ट में जबाब दावे में लिखकर दे रहे है कि यह प्लॉट श्री चन्द्र प्रकाश का है तथा उनकी फाईलों में भी मेरा कब्जा नोटशीट में लिखा है। दिनांक 19.04.2022 को यह श्री अशोक बैरवा प्रोपर्टी डीलर यूआईटी के अधिकारियों का दलाल है ने मुझसे सम्पर्क किया और मुझे समझाया कि आप परेशान मत हो मै तुम्हारा सारा काम यानि कन्सट्रेक्शन व कब्जे दिलवा दूंगा । मेरी यूआईटी की निर्माण शाखा के अधिकारी इन जेईएन श्री अमीचन्द से सैटिंग है व वह मेरे समाज के है। इसने मेरे सामने इन अमीचन्द जेईएन से फोन पर बात की व मुझे यूआईटी आने के लिये कहा, मै स्वयं सीढीयां चढकर नहीं जा सकता था इसलिये मैने अपने पोते को भेज दिया। यूआईटी में इन्होने हमारी फाईल लेकर पढी। इसके बाद दिनांक 19.04.2022 को इस दलाल श्री अशोक बैरवा ने इन श्री अमीचन्द जेईएन से मिलकर प्लाट पर कन्स्ट्रेक्शन व दुकान इत्यादि बनाने व कब्जा करवाकर व तोडने नही देने की गारंटी हेतु मुझसे 05 लाख रूपये की रिश्वत देने के लिये कहा, और मुझ पर पैसे देने का दबाब बनाया , मै रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि इन्हें रंगे हाथों प कडवाना चाहता था इसलिये दिनांक 20.04.2022 को आपके

कार्यालय मे उपस्थित होकर लिखित शिकायत दी। जिस पर आपके द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु अपने एक सिपाही को टेप रिकार्डर सहित मेरे साथ मेरे घर पर भेजा था क्योंकि यह अशोक कुमार बैरवा मेरे घर ही आकर बातचीत करना चाहते थे, मैने अपने घर से इन अशोक कुमार बैरवा से इनके मोबाईल फोन पर बातचीत की तो इन्होने मुझसे कहा कि मेरी यूआईटी अधिकारी से बात हो गई है मै एक घंटे में आता हूं उसके करीब एक डेढ घंटे के बाद यह अशोक कुमार बैरवा मेरे घर पर आया और इसने मुझसे 5 लाख रूपये की मांग की और इन अमीचन्द जेईएन से मेरी आमने सामने बात कराने को कहा, उक्त सभी वार्ता को टेप में रिकार्ड किया था। इसके बाद दिनांक 21.04.2022 को आपके कर्मचारी के साथ मय टेप रिकार्डर के मै इन अशोक कुमार बैरवा से बाबा प्रोपर्टीज के नाम से हनुमान तिराया पर स्थित दुकान पर जाकर मिला एवं बातचीत की वहीं पर ये जेईएन साहब अमीचन्द जी भी आ गये जिनसे अशोक कुमार बैरवा ने मुझे मिलाया, इन दोनो ने मिलकर मुझसे पहले तो 5 लाख रूपये रिश्वत की मांग की और मेरे कम करने के निवेदन उपरान्त इन्होने 4 लाख रूपये लेना तय कर एक लाख रूपये पहले व शेष राशि निर्माण कार्य शुरू करने से 2 घंटे पूर्व लेने की मांग की तथा उसी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 22.04.2022 को यह अशोक कुमार बैरवा मेरी प्रियंका कार बाजार के नाम से मुगस्का अलवर स्थित दुकान पर अपनी सिफ्ट डिजायर कार से आया और दुकान के अन्दर आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठकर मुझसे इन जेईएन साहब श्री अमीचन्द की मांग अनुसार मांग कर 1 लाख रूपये मुझसे अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनो हाथों से गिनने लगा, इसी बीच मैने निर्धारित ईशारा कर दिया, उसके बाद आप अपनी टीम सहित मेरी दुकान के बाहर आ गये उस समय यह अशोक कुमार बैरवा नोटो को गिन रहा था तथा नोटो को गिनकर इसने अपनी पहनी हुई जींस पैट की दाहिनी जेब के अन्दर रख लिया और इसने अपने मोबाईल फोन से इन अमीचन्द से बात की थी उसके बाद मेरे ईशारे पर आपने अपनी टीम सहित इसे पकड लिया था। इसके बाद आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता व दलाल अशोक कुमार बैरवा से पुनः परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के संबध मे पूछताछ की गई तो दोनो के द्वारा अपने पूर्व के कथनो के अलावा अन्य कोई नयी बात नही बताई। तत्पश्चात् ऑफिस कार्यालय मे लगे वाटर कूलर से जरिये लल्लूराम कानि0 से काँच के दो साफ गिलासों को पुनः साबुन व पानी से साफ कराकर उन गिलासों में साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री कैलाशचन्द सैनी से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजीन को को दिखाया तो सभी ने दोनो गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी दलाल श्री अशेक कुमार बैरवा के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे कॉच के गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी दलाल श्री अशोक कुमार बैरवा के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल 1, एल 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री अशोक कुमार बैरवा को परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से प्राप्त की गई 1,00000/–रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने के लिए कहा तो अशोक कुमार बैरवा दलाल ने अपने बदन पर पहनी हुई जींस पैन्ट बरंग काली की सामने की दाहिनी जेब के अंदर से 500–500 रूपये के नोटो की गडडियां निकालकर पेश की जिनको सीधे ही गवाह श्री मनोज कुमार को दिलवाया जाकर गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपये के 200 नोट कुल 100000/–रूपये (एक लाख रूपये) मिले। उक्त बरामद शुदा 100000/–रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। बरामद शुदा 100000/–रूपये रिश्वत राशि नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात दलाल अशोक कुमार बैरवा के बदन पर पहनी हुई जींस पेंट बरंग काली को ससम्मन बदन से उतरवाया जाकर परिजनों से मंगाये गये लोअर को पहनवाया गया, तथा उतारी हुई जींस पेंट बरंग काली की सामने की दाहिनी जेब को छोडकर पेंट की अन्य जेबों की तलाशी गवाह श्री कैलाशचन्द सेनी से उसके हाथ साबुन पानी से साफ कराने के बाद लिवाई गई जिसमें कोई शः बरामद नहीं हुई तत्पश्चात पूर्व की भांति एक कांच के गिलास को श्री लल्लूराम कानि0 से साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर गिलास में कार्यालय में लगे हुये वाटर कूलर में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें गवाह श्री कैलाशचन्द सैनी से उसके दोनो हाथ

साबुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा के बदन से उतरवाई हुई उसकी जींस पैंट बरंग काली की सामने की दाहिनी तरफ की जेब को गवाह श्री कैलाशचन्द सैनी से उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों को दिखाकर उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात उक्त जींस पेंट की धुलाई हुई सामने की दाहिनी तरफ की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर जींस पेंट बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क पी ,,अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता की जामा तलाशी गवाह श्री कैलाशचन्द सैनी से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुये पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब के अन्दर एक रियलमी मोबाईल फोन एवं पेंट की बांयी जेब के अन्दर एक पर्स बरंग भूरा मिला, पर्स को गवाह श्री मनोज कुमार से चैक करवाया गया तो पर्स के अन्दर 150 रूपये एवं स्वयं का मूल आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस मिला के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, तलाशी में मिले मोबाईल फोन रियलमी को चैक किया तो उसमें डब्ल सिम स्लोट जिसके एक स्लोट में सिम नम्बर–9928134283 ऐयरटेल एवं दूसरे स्लोट में सिम नम्बर–8118855610. जिओ की लगी हुई मिली, उक्त मोबाईल को आरोपी से लोक खुलवाकर चैक कर उसमें दिनांक 20.03.2022 से दिनांक 22.03.2022 तक की बाबा प्रोपर्टी डीलर अशोक बैरवा से हुई वार्ता संबंधी आउट गोईग व इन्कमिंग कॉलों के एवं मोबाईल फोन के फोटो लेकर एवं प्रिन्टआउट लेकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जे में लिया गया, एवं मोबाईल फोन रियलमी डब्ल सिम स्लोट बरंग कार्वन ब्लैक को वास्ते बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा आरोपी अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल फोन रियलमी के अलावा जामा तलाशी में मिले आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति कराकर शामिल पत्रावली कर मूल आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस एवं पर्स व 150 रूपये को प्रकरण में मसगूल नहीं होने से आरोपी अमीचन्द के कहे अनुसार उसके उपस्थित आये भतीजे अनिल वर्मा को सुपुर्द किया गया। इसके बाद आरोपी श्री अशोक बैरवा दलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये परिवादी के पास उसकी दुकान पर आने हेतु काम में ली गई सिफ्ट डिजायर कार नम्बर आरजे–02 सीसी 7902 बरंग सफेद को मय चाबी जरिये फर्द पृथक से जप्त किया गया। इसके बाद आरोपी अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता से परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा के खसरा नम्बर 374/1 व प्लॉट से सम्बन्धित पत्रावली के बारे में पूछा गया तो आरोपी अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता ने उक्त पत्रावली यूआईटी अलवर की नियमन शाखा में होना बताया,। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से प्राप्त कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर एयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद आरोपी दलाल अशोक बैरवा व अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता व परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से आपसी रंजिश एवं दुश्मनी या कोई रूपये पैसे के लेन–देन बकाया होने के बारे में पूछा जाने पर तीनों ने अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दोनो आरोपितों दलाल श्री अशोक कुमार वैरवा एवं श्री अमीचन्द कनिष्ट अभियन्ता से परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से प्राप्त की गई 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि के संबंध मे पुनः अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनो ने अपने पूर्व के कथनों के अतिरिक्त अन्य कोई नई बात नहीं बताई। इसके बाद समय 05:00 पीएम पर आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा को एवं समय 05.30 पीएम पर आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता को जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7 ए पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी भा.द.सं में जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। वक्त गिरफ्तारी आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा की जामा तलाशी में एक मोबाईल मेक Redmi M2003J15SI बरंग नीला मिला जिसमें सिम नं. 9314165907 व 9376165907 लगी हुई है। उक्त मोबाईल का आरोपी से लॉक खुलवाकर चैक कर उक्त मोबाईल से दिनांक 20.04.2022 से 22.04.2022 तक दलाल श्री अशोक कुमार बैरवा व अमीचन्द, जेईएन के मध्य हुई वार्तालाप सम्बन्धित कॉलो की फोटो लेकर प्रिन्ट आउट लेकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मय मोबाईल फोन को सिम सहित वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता की जामा तलाशी में पहने हुये परिधान के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली, गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगणो के परिजनो को दी गई, इसके बाद आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता गांव रोणपुर स्थित आवास की खाना तलाशी ली गई तत्पश्चात् घटनास्थल प्रिंयका कार बाजार मुगस्का अलवर पहुँच दोनो स्वतंत्र गवाहान व

परिवादी के सामने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर वापिस कार्यालय आया। इसके बाद नगर विकास न्यास अलवर से जरिये श्री भूपेन्द्र सैनी कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, परिवादी के भूखण्ड खसरा नं. 374/01, एवं नया खसरा नम्बर 395, बुद्ध विहार वाके ग्राम अलवर नं. 01 तथा नरेन्द्र भारती के भूखण्ड खसरा नं. 374/01, एवं नया खसरा नम्बर 395, बुद्ध विहार वाके ग्राम अलवर नं. 01 की नियमन पट्टा पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर गवाहान व परिवादी के सामने जरिये फर्द जप्ती जप्त की गई, तत्पश्चात गवाहान व परिवादी के सामने परिवादी से पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर में दिनांक 22.04.2022 को आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा व परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा के मध्य हुई रिश्वत लेन देन संबंधित मोबाईल व रूबरू रिकार्ड वार्ता वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना व परिवादी व गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की 09.15 पीएम फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चार खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता चार सीडीयों पर मार्क सी–1 सी–2 सी 3, सी–4 अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा चारों सीडीयों में से तीन सीडी मार्क सी–1, सी–2, एवं सी–3 को प्लास्टिक कवरों में अलग अलग रखवाकर सीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क सी–4 को अनशील्ड रखा गया तथा समय 10.05 पीएम पर रिश्वत मॉग एवं लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने हेतु काम मे लिए गए एसडी कार्ड सैनडिक्स अल्ट्रा 32 जीबी को वाईस रिकार्डर से निकालकर चैक कर एसडी कार्ड को वास्ते वजह सबूत एक कागज की चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त चिट के साथ एसडी कार्ड को रखकर चिट व एसडी कार्ड को खाली माचिस की डिब्बी में रखकर उक्त डिब्बी का मय एसडी कार्ड सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क एसडी,, अंकित कर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया, तत्पश्चात प्रकरण में जप्त/शील्ड शुदा माल बजह सबूत को श्री अजय कुमार हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा की सिफ्ट डिजायर कार नम्बर आरजे–02 सीसी 7902 बरंग सफेद को प्रकरण मे वांछित होने से जरिये फर्द जब्त किया गया ,तत्पश्चात् गिरफतार शुदा आरोपीगण श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता व दलाल अशोक कुमार बैरवा का राजकीय चिकित्सालय अलवर से स्वास्थय परीक्षण कराया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना अरावली विहार मे बंद हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात् आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा की सिफ्ट डिजायर कार को प्रकरण मे आवश्यकता नही होने से उसकी सहमति अनुसार उसके भाई दिनेश वर्मा को जरिये सुपुर्दगी नामा दुरूस्त हालत में मय चाबी सुपुर्द की गई। इसके बाद वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा द्वारा परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा से उसकी दुकान के अन्दर परिवादी से रिश्वती नोट प्राप्त कर गिनते हुये की श्री राजवीर सिंह कानि. द्वारा स्वयं के मोबाईल फोन में की गई विडियों रिकॉडिग की कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चलाकर चैक कर परिवादी व गवाहान को दिखाकर उक्त विडियों रिकॉडिग को चार खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान चार सीडीयों पर मार्क डी–1 डी–2, डी 3, डी–4 अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा चारों सीडीयों में से तीन सीडी मार्क डी–1, डी–2, एवं डी–3 को प्लास्टिक कवरों में अलग अलग रखवाकर सीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं जमा मालखाना कराया गया, तथा एक सीडी मार्क डी–4 को अनशील्ड रखा गया। इसके बाद ट्रैप कार्यवाही में बजह सबूत को शील्ड करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास शील्ड नं0 51 को जरिये फर्द नष्टीकरण नष्ट किया गया तथा बाद कार्यवाही गवाहान व परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया, तथा दिनांक 23.04.2022 को आरोपीगण अशोक कुमार बैरवा दलाल व अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता को पुलिस थाना अरावली विहार से जरिये जाप्ता प्राप्त कर एवं सामान्य चिकित्सालय अलवर से कोबिड–19 जांच कराकर कार्यालय मे जाप्ता की निगरानी मे रखा गया। आईन्दा आरोपीगणो को वास्ते जेसी माननीय न्यायालय मे पेश किया जावेगा।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री अमीचन्द कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण शाखा) नगर विकास न्यास अलवर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर एवं दलाल श्री अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री सोहन लाल वर्मा जाति बैरवा उम्र 36 निवासी–हिरनोटी तहसील व थाना रैणी जिला अलवर हाल प्रोपर्टी डीलर "दुकान बाबा प्रोपर्टीज" हनुमान तिराया, अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) से आपसी मिलीभगत एवं षडयंत्र पूर्वक एवं एक राय होकर

परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा पुत्र स्व0 श्री सूरजभान उम्र 80 वर्ष निवासी 47 पंजवटी स्कीम 7 अलवर हाल दुकान प्रियंका कार बाजार मुगस्का अलवर से उसके खसरा नम्बर 374/01 अलवर नम्बर 01 बुद्ध बिहार स्थित प्लॉट पर कन्सट्रेक्शन व दुकान इत्यादि बनाने व कब्जा करवाकर निर्माण कार्य को नहीं तोडने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.04.2022 को 05 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर तथा परिवादी के रिश्वत राशि कम करने के निवेदन पर 04 लाख रूपये लेना तय कर एक लाख रूपये पहले व शेष रिश्वती राशि निर्माण कार्य शुरू करने से 02 घण्टे पूर्व लेने पर सहमत होकर उक्त मांग के अनुशरण में प्रथम किस्त के रूप में दिनाक 22.04.2022 को एक लाख रूपये आरोपी दलाल अशोक कुमार बैरवा द्वारा परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा से उसकी दुकान प्रियंका कार बाजार मुगस्का अलवर पर प्राप्त कर मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफतार किया जाना पाया गया है।

अतः श्री अमीचन्द पुत्र श्री चेतराम जाति जाटव उम्र 43 वर्ष निवासी– ग्राम रोणपुर पोस्ट बुटियाना तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण शाखा), नगर विकास न्यास, अलवर एवं श्री अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री सोहन लाल वर्मा जाति बैरवा उम्र 36 निवासी–हिरनोटी तहसील व थाना रैणी जिला अलवर हाल प्रोपर्टी डीलर "दुकान बाबा प्रोपर्टीज" हनुमान तिराया, अलवर (दलाल प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन सेवा में प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में वर्णित अभियुक्तगण 1. श्री अमीचन्द, कनिष्ठ अभियंता (निर्माण शाखा), नगर विकास न्यास, अलवर एवं 2. श्री अशोक कुमार बैरवा, निवासी-हिरनोटी, तहसील व थाना रैणी, जिला अलवर हाल प्रोपर्टी डीलर "दुकान बाबा प्रोपर्टीज" हनुमान तिराया, अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 139/2021 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1226-30 दिनांक 25.04.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

25/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।